

भारत में महिला सशक्तिकरण : उभरते आयाम

डॉ० निशा त्यागी

असिझो प्रोफेसो, राजनीतिविज्ञान विभाग, फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज, मेरठ शहर (उप्रो)

सारांश

समग्र राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में जिन आधारभूत विषयों पर विचार किए जाने की नितान्त आवश्यकता है, उनमें महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सम्भवतः सर्वोपरि है। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं की प्रविधिति सुधारने की दिशा में विविध-विशेषकर 73वें संवैधानिक संशोधन, 1993 के पश्चात्- निरन्तर प्रयास हुए हैं तथापि अभी भी इस दिशा में राज्य और समाज द्वारा अपने प्रयत्नों को और अधिक तीव्र व घनीभूत किए जाने की आवश्यकता बनी हुई है। प्रस्तुत आलेख इन्हीं उभरते आयामों को उद्घाटित करने का एक विनम्र प्रयास है।

मूल शब्द-सामाजिक न्याय, निर्भर, निर्णय प्रक्रिया, घरेलू हिंसा, नैतिक बल, आरक्षण, प्रतिबद्धता, जागरूकता।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
निम्न प्रकार है:

डॉ० निशा त्यागी

भारत में महिला
सशक्तिकरण :
उभरते आयाम

शोध मंथन, जून 2018,
पैज सं० 48-54

Article No. 8

<http://anubooks.com>
?page_id=581

प्राचीन काल से भारतीय समाज में स्त्रियों की सम्मानपूर्ण स्थिति रही है। स्त्री को शक्ति की साकार प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:”¹ अर्थात् यहाँ स्त्री को देवी की संज्ञा दी जाती है एवं लक्ष्मी, दुर्गा, शक्ति के रूप में पूजा जाता है भारतीय इतिहास का प्रारम्भ वैदिक युग से होता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को ऊँचा स्थान प्राप्त था उस युग में नारी का समाज में आदर था। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। उसे पुरुष के समान ही सभी अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी, विद्योत्ता उस युग की ऐसी नारियाँ हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर ऋषियों का पद प्राप्त किया था। किन्तु इसी स्वर्णिम इतिहास का दूसरा पूर्णतः भिन्न पहलू सीता, द्रोपदी व शकुन्तला के रूप में देखने को मिलता है। इन्हें क्या—क्या नहीं भोगना पड़ा। नारी को हमेशा पुरुषों द्वारा रचित शास्त्रों के चौखटों में जड़ दिया गया। सम्पूर्ण भारत भारतीय नारी के आँसुओं से भीगा हुआ है। रामायण, महाभारत, कुमारसम्भव, स्वर्ज वासवदत्तम् मृच्छकटिकम् में इसके घोषणा पत्र दर्ज हैं।² मनु के अनुसार तो “स्त्री के लिए पति सेवा ही गुरुकुल में वास और गृह कार्य अग्नि होम है।”³ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो भारत के किसी भी कालखण्ड में चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या फिर आधुनिक काल, स्त्री की समाज में दोयम स्थिति ही रही है। भारत में आज भी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें महिलाएं पिता या पति पर ही आर्थिक रूप से निर्भर करती हैं तथा निर्णय लेने के लिये भी परिवार के पुरुषों पर निर्भर करती हैं। महिलाओं को न तो घर के मामलों की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और न ही बाहर के मामलों में। विवाह से पूर्व वे पिता व विवाह के बाद पति के अधीन रहते हुए जीवन यापन करती हैं। इस संदर्भ में सीमोन द बोउवार का यह कथन विशेष महत्व रखता है कि “स्त्री पैदा नहीं होतीं बल्कि बना दी जाती है।”⁴ किन्तु यदि स्वातंत्रयोत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करें, तो भारतीय नारी का आधुनिक रूप देखने को मिलता है।

स्वतन्त्रता के पूर्व भी 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप आधुनिक भारतीय नारी की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। 19वीं सदी को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार-प्रसार और उन्नीसवीं सदी के बदलते परिवेश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह आदि सामाजिक बुराईयों से जकड़ी होने के कारण स्त्रियों को नए वातावरण के अनुरूप ढलने में कठिनाइयाँ हो रही थीं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए तत्कालीन समाज सुधारकों ने पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होकर तत्कालीन शासकों के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए।

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय—

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का हम इस बात से प्रारम्भ करते हैं कि वास्तव में सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। सशक्तिकरण अपने आप में व्यापक अर्थ को समेटे हुए है इसमें अधिकारों तथा शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश हुआ प्रतीत होता है। सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर आधारित होती है। जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली- भाँति कियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होना

अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में सशक्तिकरण एक सक्रिय तथा बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना समाज के सम्बन्धों में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिये सर्वसम्पन्न तथा विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वारा खुलें, नये विकल्प तैयार हों, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएं, शिशु पालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी हक तथा प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्रदान हों।

महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में पैलिनीथूराई ने लिखा है कि “महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।”⁵ महिलाओं के लिये गांधी जी का कथन है कि “स्त्रियों को अबला कहना उचित नहीं है। यह पुरुषों का स्त्रियों के प्रति अन्याय है। यदि शक्ति का तात्पर्य पाशिक शक्ति से है तो स्त्री निश्चय ही पुरुष से कम पशुवत् है। परन्तु यदि शक्ति का तात्पर्य नैतिक बल से है तो स्त्री पुरुष से कहीं आगे है।”⁶ गांधीजी का नारी की शक्ति व क्षमता में अटूट विश्वास था। वे आशा करते थे कि भारत की महिलाएं स्वयं पर निर्भर रहें एवं स्वयं ही अपनी उन्नति के लिये प्रयास करें।

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके लिये शिक्षा की अहम् भूमिका है यह महिलाओं के संर्वांगीण विकास के लिये प्रथम एवं मूलभूत साधन है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ समाज में सशक्त समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेंगी। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं अपितु भावी पीढ़ी के उत्थान में भी सहायक सिद्ध होती है। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० अर्मत्य सेन ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि “महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों व बच्चों को भी लाभ होगा उदाहरण के लिये इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि महिलाओं की शिक्षा से लड़कों तथा लड़कियों दोनों की बाल मृत्यु दर में कमी आती है। वास्तव में केरल में औसत अनुमानित आय के अधिक होने के कारण महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि, खासतौर पर महिला शिक्षा की स्थिति को जानने की स्पष्ट वजह है। इसी तरह उत्तर भारत के कुछ राज्यों में औसत अनुमानित आयु कम होने का कारण महिला साक्षरता की कमी ही है। भारतीय समाज में महिलाओं की हीन स्थिति की वजह से समाज में व्याप्त सामान्य बदलाली को कारगर तरीके से दूर करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इस तरह महिलाओं के माध्यम से बालिका और वयस्क महिलाओं दोनों की खुशहाली सुनिश्चित की जा सकती है।”⁷

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के लिये भारतीय समाज में चली आ रही परम्पराएँ, विश्वास, मूल्य, रीत-रिवाज व शिक्षा की प्रक्रियाएं आदि अनेक चुनौतियाँ हैं किन्तु सम्भावनाएँ भी उतनी ही ज्यादा हैं क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज और वर्तमान-समाज की महिलाओं की स्थिति की तुलना करें तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आये हैं। आज खेलों से लेकर सेना, राजनीति, मीडिया और अन्य सभी महत्वपूर्ण जगहों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी, किरण बेदी, सुषमा

स्वराज्य, सानिया मिर्जा, एमसी मैरी कॉम, सुमित्रा महाजन, ममता बनर्जी, लता मंगेशकर जैसी महिलाओं ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। परिवर्तन चाहे सोच में हो चाहे समाज में एक दिन में नहीं लाया जा सकता इसमें सदियाँ लग जाती हैं। किन्तु यह वास्तविकता है कि भारत में महिलाओं के प्रति व्यवहार में आजादी के पहले और उसके बाद की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक उपबन्ध—

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं को सदियों पुरानी दासता से मुक्ति दिलाने हेतु कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं भारतीय संविधान के संस्थापक इस तथ्य को भलीभाँति जानते थे कि इस सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में संभव नहीं है कि महिलाओं को जेंडर आधारित न्याय मिल सके। इन संस्थापकों ने भारतीय संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों की ही तर्ज पर महिलाओं के लिए विशेष उपबन्धों विशेषकर मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की सिफारिश की। इसी के अनुरूप बहुत से मुख्य अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 37, 39, 39(क), 42 तथा अनुच्छेद 325 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 8 ये अनुच्छेद महिलाओं के हितों को संवर्द्धन और संरक्षण प्रदान करते हैं तथा स्त्री पुरुषों के समान अधिकारों को दर्शाते हैं।

स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास भारतीय शासन प्रणाली का केन्द्रीय विषय रहा है आजादी के बाद अब तक कई नीतिगत बदलाव आये हैं। 1970 के दशक में जहाँ महिला कल्याण की अवधारणा महत्वपूर्ण थीं वही 1980 के दशक में महिला विकास पर जोर दिया गया। 1990 के दशक से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है ऐसे अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मति हों तथा नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता बढ़े। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आप को संगठित करने की क्षमता बढ़ती तथा सुदृढ़ होती है। वे लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परिवार व समाज में भूमिका के आधार पर निर्धारित सम्बन्धों को दरकिनार करते हुए आत्मनिर्भरता विकसित करती हैं।

भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिलाओं पर घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2001, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001, बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं विद्येयक 2001, परित्यक्ताओं के लिये गुजारा भत्ता संशोधन अधिनियम बिल 2001, भूण हत्या रोकने हेतु अधिनियम, महिला शक्ति पुरस्कारों की घोषणा इस दिशा में सराहनीय कदम कहे जा सकते हैं इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सबलता प्रदान करने के लिये नई विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गयी है।

इसके लिये पूर्व में संचालित विशेष योजनाओं तथा न्यू मॉडल चर्खा योजना 1987, महिला समाख्या योजना 1989, नौराड प्रशिक्षण योजना 1989, राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना 1993, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, ऋण प्रोत्साहन योजना 1993 तथा विपणन वित्त योजना 1993, के अतिरिक्त राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1997, ग्रामीण महिला विकास योजना 1996, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, स्वास्थ्य सखी योजना 1997, इवामुआ योजना

1997, राज राजनेश्वरी बीमा योजना 1997, आदि को भी साथ-साथ व्यापक संचालित करने का प्रयास किया गया इनके अतिरिक्त कुछ नई संचालित की गयी योजनाओं में किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना, महिला स्वास्थ्य योजना, महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना, स्व शक्ति योजना आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय रही हैं। भारत सरकार द्वारा पहले से चली आ रही बालिका समृद्धि योजना में व्यापक संशोधन कर इसे और अधिक व्यवहारिक बनाने का भी प्रयास किया गया है। 19 साथ ही महिलाओं के विकास के लिये भारत सरकार ने कुछ अन्य योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि की भी शुरुआत की है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण आंदोलन में बुनियादी बदलाव आया है इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर महिलाएं निश्चित रूप से राजनीतिक शक्ति बन कर उभर रही हैं यद्यपि सदियों से पराश्रित एवं शोषित, महिलाओं की स्थिति में एकाएक सुधार संभव नहीं है लेकिन सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से कुछ लाभ अवश्य होगा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश के विभिन्न भागों के अध्ययन दर्शते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी हुई है (क्योंकि वहाँ अब महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण आवश्यक हो गया है) रुद्धिवादी शक्तियों के विरोध के बावजूद महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। यद्यपि अधिकांश मामलों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं द्वारा लिए जाने वाले निर्णय परिवारों के पुरुषों द्वारा प्रभावित होते हैं किन्तु निर्वाचित महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और विवेक से निर्णय लेने की क्षमता के कई उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

गाँव की पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता के तमाम दबावों के बावजूद राजस्थान के अलवर जिले के निम्मों गाँव की सरपंच कोयल देवी ने अपने ही ससुर और पति के लिए अधिसूचना जारी करके यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि पंचायत की जमीन पर अधिकार करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाए। हरियाणा के खामी गाँव की महिला सरपंच ने एक सार्वजनिक भूमि को दो वर्ष के लिए 60,000 रुपये के ठेके पर दिया जबकि वही भूमि उससे पहले 20,000 रुपये प्रति वर्ष के पट्टे पर पाँच वर्ष के लिए दी गई थी। एक महिला ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने क्षेत्र से शराब की दुकान हटवाई तो दूसरी ने पेयजल की समस्या का कारगर समाधान खोजा।

एक महिला सरपंच ने दहेज और शराबखोरी, की समस्याओं पर लोगों का ध्यान केन्द्रित किया। इसके अतिरिक्त अब पंचायतों का ध्यान राजनीतिक जोड़-तोड़ से हटकर पेयजल की व्यवस्था, स्कूली शिक्षा स्वास्थ्य रक्षा और साफ-सफाई व ईंधन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने की और गया है। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि जैसे-जैसे निर्वाचित महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बढ़ी है उन्होंने शराबखोरी, घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी-सामाजिक बुराइयों से भी लड़ना आरम्भ कर दिया है। (10)

निर्वाचित महिलाओं की भूमिका से सम्बन्धित उदाहरण इस बात को रेखांकित करते हैं कि पंचायत व्यवस्था में महिलाएं अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों की यह सूची कुछ सीमित क्षेत्रों में ही महिलाओं के कार्यों को उजागर करती है, लेकिन इसके आधार पर कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिये गए पंचायत राज व्यवस्था में आरक्षण के बाद महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मोहिनी गिरि निर्वाचित महिलाओं के कार्य से अत्यन्त आशावादी हैं उनका मानना है कि महिलाओं के हाथ में सत्ता आने से पूर्व उनकी कोई बात नहीं सुनता था। इस व्यवस्था से उनकी स्थिति में निश्चित तौर पर बदलाव आया है और भविष्य में सही अर्थों में संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार उन्हें मिलेगा। महिलाएँ अधिक मुखर होंगी, प्रधान पति जो इस समय चलन में है अर्थात् निर्वाचित महिला प्रधान कुछ न करके उसका पति ही सबकुछ कर रहा है, यह भी कम होता जाएगा और आनेवाले समय में निरक्षरता का कलंक भी समाप्त होगा और साक्षर महिलाएँ ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आएंगी। इससे पंचायत व्यवस्था के संचालन में आने वाले दाँव-पेंच को सुगमता से समझकर कार्य करेगी। संसद व विधान मण्डलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का विधेयक पारित हो जाने के बाद इन संस्थाओं के लिए उम्मीदवारों की पूर्ति पंचायत में निर्वाचित सक्रिय महिलाओं से होगी। इसके अतिरिक्त जो महिलाएँ संसद व विधानमण्डलों में चुनकर आएंगी उनका पंचायत स्तर की महिलाओं से भी सीधा सम्पर्क होगा। इससे पंचायत में निर्वाचित महिलाओं का और अधिक राजनीतिक सशक्तिकरण होगा। (11)

उपर्युक्त नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों ने स्त्रियों को शोषण से मुक्ति में सहायता की है, इसमें कोई संदेह नहीं है परन्तु संवैधानिक अधिकार ही महिलाओं को सशक्त बना देंगे ऐसा भी नहीं है जब तक व्यवहारिक जगत में इसका कुशल अनुप्रयोग नहीं होगा तथा समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं है। संवैधानिक अधिकार स्त्रियों को तभी सशक्त बनाएंगे जब वे स्वयं इस लायक बनेंगी कि उनका उपयोग कर सकें।

सारातः हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा अब तक महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये गये जिनके परिणाम आगामी वर्षों में दिखाई पड़ेगे वैसे इन परिणामों की अपेक्षा तब ही की जाती है जब इस मुहिम को लगन, उत्साह, तथा प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया जा सके। इस अवधि में लिये गये निर्णय तथा उठाए गये विशेष कदमों का निरंतर मूल्यांकन होता रहे तथा रास्ते में आने वाली बाधाओं तथा कठिनाईयों का प्राथमिकता के आधार पर स्थायी हल खोजा जा सके। इसके लिए उन्हे अधिक से अधिक शिक्षित एवं सशक्त होना होगा ताकि उनमें जागरूकता का संचार हो सके और वे अपने अधिकारों की लडाई स्वयं लड़ने में सक्षम हो सकें। तभी वास्तविक अर्थों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाये गये कदम सार्थक कहे जा सकेंगे।

सन्दर्भ

1. मनु : मनुस्मृति, 3 / 55–59 |
2. ज्ञानेन्द्र रावतः औरत—एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. मनु : मनुस्मृति, 3 / 55–59 |

भारत में महिला सशक्तिकरण : उभरते आयाम

डॉ निशा त्यागी

4. डा० प्रभा खेतानः स्त्री उपेक्षिता,- सीमोन द बोउवार 2002 प्रकाशकः हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड जे-40 जोरबाग लेन, नई दिल्ली-110003।
5. पैलिनीथूराई जीः इंडियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनवरी-मार्च 2001, पृष्ठ 39।
6. महात्मा गांधीः यंग इंडियन (1919-1922) पृष्ठ 965।
7. डा० अर्मत्य सेनः इंडिया : इकोनॉमिक डवलवमेन्ट एण्ड सोशल अर्पोच्यूनिटी, प्रकाशन, जीन ड्रेजी क्लरेन्च, प्रेस (1999)
8. डा० दुर्गादास बसुः 'भारत का संविधान एक परिचय' प्रकाशन, वाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर, 2000।
9. भारत में केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम व योजनाएँ।
10. गीता श्री "सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए" राष्ट्रीय सहारा 10 जून 2000,
11. मुन्नी पडलिया— "भारत में पंचायती राज व्यवस्था" प्रकाशन अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा०) लिं० अंसारी रोड नई दिल्ली — 10002.